दि. 6/18

पत्रावली पेश हुई अभियुक्त प्रार्थी उपस्थित
विपक्षीगण 1 3 [illegible] अनुपस्थित
[illegible]
[illegible]
[illegible] विपक्षीगण [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] अभियुक्त प्रार्थी [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] पत्रावली [illegible]

[illegible] (हस्ताक्षर)

[illegible] अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
[illegible]पुरा (भीलवाड़ा)

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. यादव, RAS.

प्रकरण संख्या 619/2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

नवाब खां S/O अलादीन खां कायमखानी

निवासी शाहपुरा — प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

राजू S/O हरकचन्द बैरवा

निवासी उम्मेदनगर मोड़ शाहपुरा — विपक्षी/विपक्षीगण

उपस्थित :— श्री कृष्णराज रेवाड़ी

एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय दिनांक 29/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा/ —— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 3274 रकबा 0.26, 3275 रकबा 0.33, 5916 रकबा 0.22, 5918 रकबा 0.18, 5919 रकबा 0.06 कुल किता 6 रकबा 1.23 हैक्टयर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमांचिन्ह नही होंने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा मे स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 6 रकबा 1.23 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन नं हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ —— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। तहसीलदार शाहपुरा/ —— बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा))

(हस्ताक्षर) के. आर. यादव
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः—तहसीलदार, शाहपुरा/ —— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner